कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक : 2217/वाद सं0 सी–0638/एस–5/2023 दिनांक: 21,07,2023

हित्तबद्व व्यक्ति,
कुवांवाला, उत्तरॉखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट
ऑफिस के सामने, देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 40 गुणा 30 फीट क्षेत्रफल में दो दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एंव स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं0 सी–0638/एस–5/2023 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 19.07.2022 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009, की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर दिनांक 20.07.23 को चस्पा किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, आप द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 25.07.22 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, विपक्षी को सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियां नियत की गयी, नियत तिथियों पर विपक्षी अनुपस्थित रहें। विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 3840 दिनांक 29.10.2022 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 07.11.2022 की तिथि नियत की गयी नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 4289 दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 21.11.2022 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 12.07.2023 के अनुसार विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा आतिथि तक अपने निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नही है।

अतः चालानशुदा अवैध निर्माण मे सील की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

–आदेश–

अतः विपक्षी हित्तबद्व व्यक्ति, कुवांवाला, उत्तरॉखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/ स्थल पर लगभग 40 गुणा 30 फीट क्षेत्रफल में दो दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को 28(क) के अन्तर्गत सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध/अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 31-7-23को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तद्नुसार सूचित हो।

20/7/23

संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

चस्पा

श्री हेतु, मौ एवं हित्तबद्व व्यक्ति का मौके पर अभिलेख में विपक्षी
द्वार पर डाक। विपक्षी/हित्तबद्व व्यक्ति न मिलने के कारण नोटिस
को विपक्षी भवन पर चस्पा किया। विपक्षी भवन की फोटो भी डाक नोटिस
के साथ संलग्न है। 21/7/2023

20/7/2022